e-office No. 578313/19/CF

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[भर्ती प्रकोष्ठ/ RECRUITMENT CEL]

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29

फ.सं./No.2-25/2018-Estt. (RCT)स्था.(भर्ती प्रकोष्ठ)

दिनांक /Dated 13 JUN 2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषयः- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्लीं में वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति।
Subect:- Promotion to the post of Senior Dietician at the AIIMS, New Delhi.

******

दिनांक 03.5.2019 को **वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ** के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग की सिफारिश के परिणाम स्वरुप एवं सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरांत **कुमारी अनुजा अग्रवाला, आहार विशेषज्ञ को पदभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद पर वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -10 (पूर्व संशोधित पी. बी. -3 15600-39100+ ग्रेड पे. रू. 5400/-) पर पदोन्नत किया जाता है।**

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of **Senior Dietician** held on 03.05.2019 and its acceptance by the Competent Authority, that **Ms. Anuja Agarwala, Dietician is promoted to the post of Sr. Dietician in Level-10 in the pay matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay of Rs. 5400) from the date she assumes the charge of the post of Senior Dietician.**

वे दिल्ली/नई दिल्ली/एन.सी.आई.,बाढसा झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी गाजियाबाद और वर्तमान में बल्लबगढ़ में स्थित रूरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे। उस दिनं से जब वह वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद का कार्यभार ग्रहण करेंगी। उनकी वरिष्ठता वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद पर विभागीय पदोन्तति समिति कि तिथि 03.05.2019 से प्रभावी होगी।

She will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of her status stationed at Delhi/New Delhi/in the Rural Centre presently located at Ballabhgarh (Haryana)/NDDTC, Ghaziabad and NCI, Jhajjar, Badsa Jhajjar and at any other Centre opened by the Institute in future, from the date she assume the charge of the post of Sr. Dietician. Further, in accordance with DoPT O. M. dated 24.6.1978 her seniority will be effective in the post of Senior Dietician from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 03.052019.

उन्हे यह सलाह दी जाती है कि वे इस पत्र के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ. आर. 22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से तय करने का विकल्प चुनें बर्शते उन्हे आंशोधित आश्वस्तित वृति प्रगति योजना/संशोधित आशवस्तित वृति प्रगति योजना के अंतर्गत वेतन पे. मैट्रिक्स के लेवल -10 (पूर्व संशोधित पी. बी. -3 15600-39100 + ग्रेड पे. रू. 5400/-) प्रदाम नहीं किया जायेगा।

She is advised to exercise her option for fixation of her pay under FR-22 (1) either from pthe date of her promotion to the post or from the date of drawl of her next increment in the present post within one month from the date of issue of this Office Order, provided if she has not been granted Level-10 in the Pay Matrix (pre-revised PB-3 Rs.15600-39100+ 5400 Grade pay) under ACP/MACP Scheme.

13/6/19

जारी/Condt.. ....

वह दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षा पर रहेंगें। परिवीक्षा अवधि के दौरान, उनसे संतोशजनक सेवाएं प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएं किसी भी समय बिना नोटिस, दिए अथवा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी जाएंगी।

She will be on probation for a period of two years. During the period of probation she will be required to put in satisfactory service failing which her service will be liable to be terminated at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्ते जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू है, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and condition of her service will be the same as are applicable to other employees of the Institute

वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित एस. एल. पी. के परिणाम या इस संबंध में डी.ओ.पी.टी. से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Sr. Dietician is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

13/6/19

(बी. एस. गिल/ B.S. GILL)
प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

कुमारी अनुजा अग्रवाला, आहार विशेषज्ञ, बाल रोग विभाग
Ms. Anuja Agarwala, Dietician, Deptt. of Paed.
द्वाराः- प्रभारी अधिकारी, /Officer-in-charge, Deptt. of Paed.

प्रतिलिपिः

1. चिकित्सा अधीक्षक/The Medical Superintendent,AIIMS
2. मुख्य . बाल विभाग./ The Head, Deptt. of Paed.
3. मुख्य आहार विशेषज्ञ/The Chief Dietician
4. प्रशासनिक अधिकारी The Administrative Officer, (D.O.)/Hospital
5. स्थापना अनुभाग (Establishment Section, (DO)
6. लेखा विभाग, II एवं III/Accounts Section- II & III
7. जी.पी.एफ./संपदा विभाग/सामान्य विभाग/ ए.सी.आर सेल
   GPF Section/General Section/Estate Section/ACR Cell
8. एस.सी.विभाग/एस.टी विभाग/सतर्कता विभाग/लीगल सेल
   SC/ST Cell/Vigilance Cell
9. डाटा संरक्षण हेतु भर्ती प्रकोष्ठ के संबधित सहायक
   Dealing Assistant, Recruitment Cell
10. प्रो. इन्चार्ज- कम्पयूटर विभाग- कृपया इसे संस्थान की वेबसाईट पर अपलॉड करें।
    Professor In Charge- Computer Facility- kindly upload the same on the Institute website.

14/6/19

प्राप्त किया / RECEIVED
कम्प्यूटर सुविधा / Computer Facility
13 JUN 2019
समय / Time.....
अ.भा.आ.सं., नई दिल्ली / A.I.I.M.S., New Delhi-29